एन.एच.पी.सी. लिमिटेड
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

सितंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	सुबनसिरी लोअर जल-विद्‌युत् परियोजना (2000 मेगावाट)
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्‌युत् परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति - पत्र सं. जे-12011/40/2001-आईए-I, दिनांक 16.7.2003 ख) वन संबंधी स्वीकृति i) पत्र सं.8-9-26/2000/आरओ-एनई-एपी/2906-8, दिनांक 03.01.2002 ii) पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004 iii) पत्र सं. 3-एएस सी059/2006-एसएचआई/2484-86 दिनांक 11.01.2008
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	क) कामले (भूतपूर्व - लोअर सुबनसिरी) व धीमाजी ख) अरुणाचल प्रदेश व असम ग) 27° 32′ 43″ उ° to 27° 33′ 20″ उ° घ) 94° 15′ 05″ पू° to 94° 15′ 43″ पू°
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	कार्यपालक निदेशक, सुबनसिरी लोअर जलविद्‌युत् परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, पोस्ट - गेरुकामुख, जिला धीमाजी, असम, पिन कोड 787 035 टेलीफोन नं: 03752-269321 फैक्स नं.: 03752-269215 कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2254038
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	संलग्नक -I के रूप में संलग्न ।
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र) ख) अन्य	कुल भूमि : 4035.56 हैक्टेयर क) वन भूमि : 3436 हैक्टेयर (3071 हैक्टेयर वन भूमि अरुणाचल प्रदेश में और 365 हैक्टयर असम में) गैर-वन क्षेत्र: शून्य ख) वन क्षेत्र: 594.56 हैक्टेयर निजी भूमि: 5.40 हैक्टेयर
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं,	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या : 77

<table>
<tr><td></td><td>केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण

क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी

ख) अन्य</td><td>परियोजना से प्रभावित परिवार पश्चिम सिंयाग जिला, अरुणाचल प्रदेश के गेंगी और सिबराइट नामक दो गांवों के हैं तथा जलमग्नता के अधीन आने वाले वन भूमि के कुछ हिस्से पर इन परिवारों द्वारा खेती की जाती है।

अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी : 77 (परियोजना से प्रभावित सभी परिवार अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।)
अन्य : शून्य</td></tr>
<tr><td>9</td><td>वित्तीय ब्यौरा
क) परियोजना की लागत, जैसीकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष

ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च
ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन

घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</td><td>क) सीसीइए स्वीकृत लागत: 6285.33 करोड़ रुपये (दिसम्बर, 2002 मूल्य स्तर पर)
आरसीई : 21247.54 करोड़ रुपए (दिसंबर 2023 मूल्य स्तर पर)

ख) 23207.34 करोड़ रुपये (दिनांक 30.09.2024 तक)

ग) 8012.69 लाख रुपये, सीसीईए के अनुसार
(इसमें 13754.00 लाख रुपए आर. एण्ड आर., आर. एण्ड पी. और एनपीवी के प्रति किया गया खर्च शामिल नहीं है)
घ) 11243.65 लाख रुपये (दिनांक 30.09.2024 तक)
(इसमें आर.एण्डआर., आर.एण्ड पी.और एन पी वी के प्रति किया गया खर्च शामिल नहीं है)
आर.&आर. व आर.&पी., एनपीवी और अन्य के प्रति अब तक हुआ खर्च 53223.75 लाख रुपये है।

(कुल आवंटन, पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्नक-। के रूप में संलग्न है।)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>वन भूमि की आवश्यकताएं

क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति</td><td><table><tr><th>वन भूमि का अपवर्तन (है.)</th><th>गैर-वन्य उपयोग</th><th>निम्नलिखित द्वारा स्वीकृति दी गई</th></tr><tr><td colspan="3">अरुणाचल प्रदेश</td></tr><tr><td>04.80</td><td>पहुंच सडक का निर्माण</td><td>पर्यावरण और वन मंत्रालय के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र सं.8-9-26/ 2000/आरओ-एनई-पी/2906-8, दिनांक 03.01.2002</td></tr><tr><td>3183.00</td><td>परियोजना का निर्माण</td><td>पर्यावरण और वन मंत्रालय का पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004</td></tr><tr><td colspan="3">असम</td></tr><tr><td>816.30</td><td>परियोजना</td><td>पर्यावरण और वन मंत्रालय का</td></tr></table></td></tr>
</table>

		<table><tr><td></td><td>का निर्माण</td><td>पत्र सं. 8-100/2002-एफसी, दिनांक 12.10.2004</td></tr><tr><td>26.46</td><td>परियोजना के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि</td><td>पर्यावरण और वन मंत्रालय का पत्र सं. 3-एएससी059/2006-एसएचआई/2484-86, दिनांक 11.1.2008</td></tr></table>
	ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	ख) जलमग्न क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश के राज्य वन विभाग सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, जलमग्न क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश राज्य के विभिन्न वन विभागों के अंतर्गत) में आने वाले पेड़ों की स्पष्ट कटाई के लिए सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना द्वारा कुल ₹40.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई)	क) वास्तविक: 01.01.2005 ख) आयोजना : मार्च-अप्रैल 2025 तक कुल दो इकाई का संचालन। मार्च-अप्रैल 2026 तक पूर्ण संचालन।
12	विलम्ब के कारण (यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है)	परियोजना निर्माणाधीन है। हालांकि, बांध-विरोधी सक्रियतावादियों द्वारा आंदोलन करने एवं एनजीटी के समक्ष कानूनी मुद्दों के लंबित रहने के कारण दिसंबर 2011 से विस्तृत निर्माण कार्य रुका हुआ था। वर्तमान समय में माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 31.07.2019 द्वारा उक्त मामले की बर्खास्तगी के साथ ही परियोजना पर निर्माण कार्यों को अक्टूबर 2019 से पुनः चालू किया गया है।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	क) बहु-अनुशासनात्मक निगरानी समिति (एमडीएमसी) की 12वीं बैठक दिनांक 11 से 12 सितंबर 2024 के दौरान आयोजित होकर सम्पन्न हुई। ख) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी से अपर निदेशक द्वारा दिनांक 11.09.2024 एवं 12.09.2024 को एमडीएमसी बैठक के दौरान परियोजना का दौरा किया गया और परियोजना के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया तथा एनएचपीसी के परियोजना प्रमुख एवं अधिकारियों के साथ बैठकें भी की गई।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देते समय निर्धारित की गई शर्तों के अनुपालन की स्थिति संलग्नक-II में दी गई है।

संलग्नक-I

सुबनसिरी लोअर जल-विद्युत् परियोजना (2000 एम डबल्यू)
सितंबर 2024 तक पर्यावरण प्रबंधन योजना और अन्य अतिरिक्त योजनाओं के संबंध में किए गए आवंटन और व्यय का विवरण

क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)	खर्च (लाख रुपये में)
1	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	817.27	817.27
2	क्षतिपूरक वनरोपण	4928.19	8141.75
3	अनधिकार प्रवेश को रोकने के उपाय	203.30	40.93
4	नदीय मात्स्यिकी के लिए जीवनाधार	580.00	79.65
5	वायु प्रदूषण पर नियंत्रण*	15.00	211.62
6	लैंडस्केपिंग	50.00	54.90
7	जन स्वास्थ्य/स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली*	488.80	322.24
8	निशुल्क ईंधन/जलाऊ लकड़ी के वितरण के लिए प्रावधान*	10.00	432.03
9	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य-सफाई सुविधाएं	103.40	82.09
10	मलबा निपटान स्थलों का स्थिरीकरण*	323.58	292.39
11	सड़कों के निर्माण के प्रभावों का प्रबंधन	160.00	531.80
12	परियोजना कालोनी में सैटिलिंग टैंकों का निर्माण	9.00	10.00
13	पर्यावरण संबंधी अध्ययन	50.00	85.82
14	आपदा प्रबंधन	150.00	0.00
15	ओ. एंड एम. लागत	124.15	141.16
उप-जोड (अ)		**8012.69**	**11243.65**
अन्य प्रबंधन योजनाओं के मद में खर्च			
16	पुनर्वास और पुनर्स्थापन के कार्यान्वयन की लागत	8296.39	8267.39
17	स्थानीय लोगों के अधिकार और विशेषाधिकार	5457.50	7583.53
18	स्थानीय युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में दिया गया प्रशिक्षण	0.00	06.72
19	वर्तमान निवल मूल्य (एनपीवी) #	0.00	30177.39
20	सैद्धांतिक वन मंजूरी पत्र दिनांक 10.06.2003 की शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनरोपण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना आदि के अलावा हमारी विभिन्न वानिकी/वन्यजीव गतिविधियों को चलाने के लिए परियोजना लागत का आधा प्रतिशत राज्य वन विभागों को हस्तांतरित किया गया।	0.00	3142.66
21	वन्यजीव प्रबंधन योजना**	0.00	05.10
22	वन मंजूरी पत्र दिनांक 12.10.2004 की शर्तों के अनुपालन के अनुसार जलमग्न क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए व्यय।	0.00	4029.48
23	सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के साथ डुलुंग आरक्षित वन और पनीर आरक्षित वन के मध्य हाथी (एलिफस मैक्सिमस) की आवाजाही की सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से त्वरित मूल्यांकन के लिए एनबीडब्ल्यूएल-एमओईएफ&सीसी की सिफारिशों के अनुसार डब्ल्यूआईआई को भुगतान जारी किया गया।	0.00	11.48
उप-जोड (ब)		**13753.89**	**53223.75**
कुल जोड़ (अ+ब)		**21766.58**	**64467.40**

* लागत अनुबंध समझौते की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा किए गए व्यय भी शामिल है।

कुल राशि 30,000.00 लाख रुपए भारत की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में और 177.39 लाख रुपए पी सी सी एफ, असम के कार्यालय जमा किया गया है ।

**सैद्धांतिक वन मंजूरी पत्र दिनांक 10.06.2003 की शर्तों के अनुपालन में एसएफआरआई, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार किया गया है, जिसे मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरुणाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यह योजना मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर के कार्यालय में जांच/समीक्षा के अधीन है।

संलग्नक-II

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति

<table>
<tr><th>शर्त संख्या</th><th>भाग-क: विशिष्ट शर्तें</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए मानीटरिंग समिति का गठन
ख) ई.एम.पी. रिपोर्ट में पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अनुसार पुनर्वास</td><td>- उपायुक्त (डीसी), पश्चिम सियांग जिला, आलो द्वारा पत्र सं. डब्ल्यूएस/आरईवी-09/27, दिनांक 13.11.2003 द्वारा समिति गठित कर ली गई है।
- पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति "अनुलग्नक- अ" के रूप में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के अनुसार, उपचार के लिए पहचान किए गए 1663 हैक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र का तीन वर्षों में उपचार किया जाएगा।</td><td>- कुल 1663 हेक्टेयर भूमि को कैचमेंट क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो कि अपरदन इंटेंसिटी दर के 'उच्च' श्रेणी के अंतर्गत आता है। सीसीईए द्वारा कैट कार्यों की अनुमोदित लागत रूपये 817.27 लाख है। कैचमेंट क्षेत्र उपचार के उपायों का विवरण इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>उपाय</th><th>क्षेत्र</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्षतिपूरक वनीकरण कार्य (नर्सरी विकास सहित)</td><td>1247 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>चरागाह विकास</td><td>416 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td></td><td>उप-जोड़</td><td>1663 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>चेक डैम</td><td>15 संख्या</td></tr>
</table>
- कैचमेंट क्षेत्र कुल दो वन विभागों में अर्थात हापोली और दापोरीजो क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>गतिविधि</th><th>हापोली वन विभाग</th><th>डपोरिजो वन विभाग</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>क्षतिपूरक वनीकरण</td><td>928 हेक्टेयर</td><td>319 हेक्टेयर</td><td>1247 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td>चरागाह विकास</td><td>309 हेक्टेयर</td><td>107 हेक्टेयर</td><td>416 हेक्टेयर</td></tr>
<tr><td>चेक डैम</td><td>07 संख्या</td><td>08 संख्या</td><td>15 संख्या</td></tr>
</table>
- राज्य वन विभाग के पत्र दिनांक 25.03.2010 के अनुरोध अनुसार, एनएचपीसी के पत्र दिनांक 01.05.2010 द्वारा कैट कार्यों के कार्यान्वयन की दिशा में राज्य वन विभाग को कुल 817.27 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
- दिनांक 07.06.2011 के आदेशानुसार पीसीसीएफ और प्रमुख सचिव (ईएंडएफ) अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैट के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
- पर्यावरण और वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र दिनांक 24.11.2020 के माध्यम से 3.15 करोड़ रुपये</td></tr>
</table>

		राशि की कैट कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
(iii)	कमी वाले मौसम के दौरान बांध के तत्काल ऊर्ध्वप्रवाह में तालाबों में जल का न्यूनतम प्रवाह 6 क्यूमेक्स होगा।	- कमी वाले मौसम के दौरान बांध के डाउनस्ट्रीम की ओर 6 क्यूमेक्स पानी छोड़ने के लिए कंक्रीट बांध संरचना में डिजाइन प्रावधान मौजूद है।
(iv)	जल की गुणवत्ता के विश्लेषण के एक भाग के रूप में कोली फार्म काउंट के मूलभूत आंकड़े आवधिक रूप से एकत्र और मानीटर किए जाएंगे।	- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम की सहायता से जल की गुणवत्ता का नियमित रूप से विश्लेषण किया जा रहा है।
(v)	क्षेत्र के जलमग्न होने से पहले प्रजातियों के स्तर पर आर्किड्स की पहचान की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी कि परपोषी वृक्षों के साथ दुर्लभ आर्किड वनस्पति को कोई खतरा नहीं होता है।	- सुबनसिरी लोअर जल-विद्युत् परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में आर्किड्स की पहचान करने से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ईटानगर द्वारा तैयार किया गया, जिसकी एक प्रतिलिपि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के अनुसार, कुल दो आर्किडेरिया, जिनमें से एक परियोजना स्थल पर गेरुकामुख में और दूसरा टिप्पी, एसएफआरआई, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। - सुबनसिरी लोअर जल-विद्युत् परियोजना के अंतर्गत गेरुकामुख में स्थापित ऑर्किडेरियम को ऑर्किड रिसर्च सेंटर, टिप्पी और एसएफआरआई, ईटानगर के मार्गदर्शन में इन-हाउस संसाधनों का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया है।
(vi)	प्रस्तावित सुबनसिरी जलाशय के पास एक हैचरी बनाई जानी है। कृत्रिम बीज के उत्पादन और जलाशय और नदी में संग्रहण के लिए प्रवासी मत्स्य के विकास के लिए इस हैचरी में सभी अपेक्षित जलकृषि सुविधाएं होनी चाहिए।	- परियोजना द्वारा "सुबनसिरी नदी में मछलियों के प्रवासन का अध्ययन और हैचरी का निर्माण" शीर्षक पर केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), बैरकपुर, कोलकाता के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया। - सीआईएफआरआई, बैरकपुर की रिपोर्ट के अनुसार सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना के मत्स्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत महसीर, स्नो ट्राउट और अन्य माइनर कार्प के लिए हैचरी का निर्माण किया जाना है। - मत्स्य प्रबंधन योजना के लिए डीपीआर, अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग और आईसीएआर-डीसीएफआर, भीमताल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। - मत्स्य प्रबंधन योजना को डिपॉजिट कार्यों के रूप में लागू करने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड और मत्स्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच दिनांक 06.06.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। - अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग में हैचरी के निर्माण के लिए निविदा देने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
(vii)	नदी के स्थानीय जलीय प्राणिजात, विशेष रूप से मत्स्य, घोंघों, झींगों और केंकड़ों का प्रलेखन और उनकी वैज्ञानिक रूप से पहचान की जाएगी। इन जलीय प्रणिजात की उपलब्धता	- भारतीय प्राणिजात सर्वेक्षण (जैड.एस.आई.), शिलांग को सुबनसिरी नदी के जलीय प्राणिजात का प्रलेखन और उनकी वैज्ञानिक रूप से पहचान करने का कार्य सौंपा गया था। जैड.एस.आई. द्वारा यह अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और निदेशक, जैड.एस.आई.,

	और अन्यथा पर जलाशय के निर्माण में संभव प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि इन प्राणिजात का दीर्घकालिक संरक्षण किया जा सके और स्थानीय जनता को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।	कोलकाता द्वारा नवम्बर, 2008 में पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।
(viii)	जलमग्न क्षेत्र के संदर्भ में जैवविविधता और निवास के संरक्षण के संबंध में एक वर्ष का व्यापक अध्ययन किया जाएगा। क्षेत्र में वन्यजीव के प्रवासी मार्गों की पहचान करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।	- "सुबनसिरी लोअर जल-विद्युत परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में पुष्पी पहलुओं का जैवविविधता अध्ययन" का कार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी के द्वारा किया गया। अंतिम रिपोर्ट दिनांक 15.12.2010 के पत्र द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेज दी गई। - इस रिपोर्ट की प्रति नोडल अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश राज्य वन विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे सुबनसिरी लोअर जल-विद्युत परियोजना के क्षतिपूरक वनरोपण कार्यक्रम और जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के अंतर्गत सूचित की गई पादप प्रजातियों के बालवृक्षों का रोपण करने को प्राथमिकता दें जिसके लिए राज्य के वन विभाग को वांछित धनराशि पहले ही उपलब्ध कर दी गई है।
(ix)	अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को न केवल अकुशल श्रेणी में बल्कि चुनिंदा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल बनाने के लिए प्रावधान करके अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणियों में भी रोजगार देने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिएं।	- जहां कहीं आवश्यक होता है, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। - अबतक एनएचपीसी ने स्थायी श्रेणी के अधीन 190 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। - इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार के अधीन ठेकेदारों द्वारा असम एवं अरुणाचल प्रदेश के कुल 3533 लोगों को काम पर लगाया गया है।
(x)	जब बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब ऊर्ध्वप्रवाह में बहाव कम हो जाएगा। विशेष रूप से नदी में हेड रेस से टेल रेस टनल तक प्रवाह काफी कम हो जाएगा जिससे मच्छरों के प्रजनन में वृद्धि हो सकती है। इस भाग में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, जल के प्रवाह की न्यूनतम दर 60 से.मी./सें. रखी जानी चाहिए। नदी के इस भाग को उपयुक्त रूप से चेनालाइज किया जाना चाहिए ताकि कोई गड्ढे या पूडल न बन सकें। मलेरिया/मच्छर प्रजनन की समस्याओं को हल करने के लिए विशिष्ट उपाय इस परियोजना के एक भाग के रूप में करने होंगे।	- पत्र संख्या 2/18(ए) 2014-ईओआईए, दिनांक 27.04.2016 और 27.06.2016 के माध्यम से एमओईएफ एवं सीसी के निर्देशानुसार बांध के डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम धारा प्रवाह बनाए रखने के लिए परियोजना के डाउनस्ट्रीम नदी में लीन सीजन के दौरान लगभग 240 क्यूमेक्स का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक टर्बाइन लगातार चलाना है। पीकिंग की वजह से बैक वाटर लेवल में दैनिक उतार-चढ़ाव के कारण बांध और बिजलीघर के बीच पानी का पर्याप्त प्रवाह उपलब्ध रहेगा।
	भाग ख: सामान्य शर्तें	**अनुपालन की स्थिति**
(i)	निर्माण-कार्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी	- ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को केन्द्रीकृत मेस की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेस में ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग किया जा रहा है।

	चाहिए ताकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके।	
(ii)	ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी/ एलपीजी) मुहैया करने के लिए स्थल पर ईंधन डिपो खोला जाना चाहिए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं दी जानी चाहिए।	- आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् परियोजना क्षेत्र में एक एलपीजी डिपो खोला गया है। प्रमुख ठेकेदार श्रमिकों को अपेक्षित ईंधन, चिकित्सा और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। एनएचपीसी की गेरुकामुख (असम) एवं दोल्लुन्मुख (अरुणाचल प्रदेश) में सभी कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।
(iii)	निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और उन्हें कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए।	- परियोजना के निर्माण कार्यों से संबंधित ठेकेदारों को अपने मजदूरों को कार्यस्थल पर लाने से पूर्व पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी गई है। ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की स्थिति की नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है। - एनएचपीसी अपने परियोजना अस्पतालों के माध्यम से सभी कर्मचारियों/कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, परियोजना में उपलब्ध अनुभवी डॉक्टरों की टीम के माध्यम से श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कार्य स्थलों पर नियमित रूप से चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं ।
(iv)	बांध स्थल पर खोदी गई सामग्रियों के फैंकने के स्थल को समतल बनाकर, गड्ढों को भरकर और दृश्यभूमि आदि के द्वारा निर्माण-क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनरोपण किया जाना चाहिए।	- निर्माण कार्यों के दौरान निकले मलबे को निर्धारित डम्पिंग स्थलों पर फैंका जा रहा है। मलबे को बिखरने से रोकने के लिए क्रेट कार्य/आरआरएम कार्य किए गए हैं। ढालान और फैंकी गई सामग्री की ऊपरी सतह पर *समानिया समन, चुकरासिया टेबुलरिस, लेजरस्ट्रोमिया स्पीसिओसा, आल्टिन्जिया ऐक्सेल्सा, टर्मिनेलिया अर्जुन* जैसे पौधों की विभिन्न प्रजातियों/ब्रूम सकर जैसी झाड़ियों और कवर क्राप जैसी क्रीपर आदि का रोपण किया गया है ताकि नदी के दाहिने किनारे पर फैंकी गई सामग्री को स्थिर रखा जा सके।
(v)	सुझाए गए उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	- 80.12 करोड़ रुपए का प्रावधान सुझाए गए पर्यावरण की रक्षा के उपायों के कार्यान्वयन के लिए "एक्स-पर्यावरण और पारिस्थितिकीय" के अंतर्गत रखा गया था। हालांकि अब तक पर्यावरण और वन से संबंधित कार्यों पर कुल 112.43 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा इसमें ठेकेदारों द्वारा किया गया खर्च भी शामिल है।
(vi)	सुझाए गए रक्षोपायों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए वनविद्या, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहुविधा समिति गठित की जानी चाहिए।	- वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन, भूमि संरक्षण और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि को शामिल कर परियोजना के परिपत्र सं. एनएच/एसएलपी/जीएम/ 55/41, दिनांक 20.04.2004 द्वारा एक बहुविधा समिति का गठन किया गया है ।
(vii)	छःमाही निगरानी रिपोर्ट समीक्षा के लिए मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।	- छःमाही प्रगति/ निगरानी रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है।

<u>अनुलग्नक-अ</u>

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

1. वैपकोस (भारत सरकार के उपक्रम) द्वारा वर्ष 2000-01 में किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, गेंगी गांव से 19 परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) और सिबेराइट गांव से 20 पीएएफ, अर्थात कुल 39 परियोजना प्रभावित परिवारों की पहचान की गई थी।

2. इसके बाद वर्ष 2007 में संबंधित डीसी के पत्र संख्या एलएम/डब्लूएस-02/04, दिनांक 03.10.2007 के संदर्भ अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची को संशोधित कर कुल 77 पीएएफ (गेंगी - 38 पीएएफ & सिबेराइट - 39 पीएएफ) की सूची तैयार की गई।

3. गेंगी और सिबेराइट गाँव के ग्राम बूढा (पंचायत) के साथ दिनांक 05.09.2020 को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समझौते पर करार हुआ, जिसपर पश्चिम सियांग, एलो जिले के डीसी का विधिवत काउंटर हस्ताक्षरित है, के अनुसार सभी परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वास अनुदान राशि 2.5 लाख रुपए प्रति पीएएफ के दर से दिनांक 29.12.2007 को गेंगी गाँव के कुल 38 पीएएफ को कुल राशि 95.00 लाख रुपए एवं दिनांक 22.08.2008 को सिबेराईट गाँव के कुल 39 पीएएफ को कुल राशि 97.50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।

4. वर्ष 2009 में कुल 77 परियोजना प्रभावित परिवारों की अचल संपत्तियों के लिए कुल मुआवजा राशि 51.29 करोड़ रुपये पश्चिम सियांग जिले के डीसी को तीन किस्तों में जारी किए गए थे।

5. दिनांक 19.07.2010 को एनएचपीसी और आरएंडआर कार्यों के प्रशासक (यानी डिप्टी कमिश्नर, पश्चिम सियांग, एलो) के बीच एसएलपी के आरएंडपी कार्यों (पुनर्स्थापन स्थल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना) के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

6. तदनुसार, पुनर्वास स्थल पर आरएंडआर कार्यों के निष्पादन के लिए रुपए 2923.11 लाख की राशि डीसी, वेस्ट सियांग, प्रशासक (आर एंड आर) को वर्ष 2010 - 16 के दौरान जारी की गई थी।

7. दिनांक 07.02.2020 को डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त) कार्यालय, पश्चिम सियांग जिला, एलो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित कार्य आरएंडआर साइटों पर किए गए हैं: दोनों आरएंडआर साइटों में एप्रोच रोड का निर्माण कार्य, पुलिया का निर्माण कार्य, भवन, सामुदायिक भवन, प्राथमिक विद्यालय भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामान्य शौचालय ब्लॉक और खेल के मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और क्रॉस ड्रेनेज और रिटेनिंग का कार्य तथा डब्ल्यूबीएम और पुल के निर्माण का कार्य अभी प्रगति पर है।

8. आरएंडआर कार्यों पर आगे की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय, पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश सरकार से अभी भी प्रतीक्षित है।

9. अरुणाचल प्रदेश सरकार की आरएंडआर नीति 2008 के अनुसार, पश्चिम सियांग, लोअर सुबानसिरी और ऊपरी सुबनसिरी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को अधिकार और विशेषाधिकार (आरएंडपी) के तहत रुपए 75.84 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। विस्तृत ब्रेक-अप इस प्रकार है:

अधिकार और विशेषाधिकार (आरएंडपी)				
क्रम संख्या	**भुगतान विवरण**	**राशि (रुपए में)**	**जिला**	**भुगतान तिथि**
1	एलो वन विभाग के 699.65 हेक्टेयर वन भूमि के लिए (i) 316 पीआरएफ @ 78000 रुपए/ हेक्टेयर (ii) 383.65 यूएसएफ @ 1,56000 रुपए/ हेक्टेयर (iii) एनपीवी का 25% @ 9.39 लाख रुपये 383.65 हेक्टेयर यूएसएफ के लिए भुगतान किया गया।	277536359	डिप्टी कमिश्नर, पश्चिम सियांग, एलो	12-05-2022
		87279619		22-12-2009
		29093206		21-05-2009
		58186412		02-04-2009
2.	लोवर सुबनसिरी जिले में हापोली वन विभाग के 475 हेक्टेयर यूएसएफ के लिए एनपीवी का 25% @ 9.39 लाख रुपये तीन किश्तों में भुगतान किया गया। (निडो और किनो जोकोम कबीले)	37168750	डिप्टी कमिश्नर ,लोअर सुबनसिरी, जिरो	02-04-2009
		18584375		21-05-2009
		1261000		21-05-2009
		55753125		22-12-2009
		3783000		22-12-2009
3	लोअर सुबनसिरी जिले के हापोली वन विभाग के 475 हेक्टेयर यूएसएफ के लिए रुपए 1,30,000 / हेक्टेयर और 463 हेक्टेयर आरएफ @ रुपए 65000/हेक्टेयर का भुगतान दो किश्तों में किया गया।	31398273		18-03-2004
		60446727		19-01-2005
4	लोअर सुबनसिरी जिले में बांदरदेवा वन विभाग के 508 हेक्टेयर आरएफ के लिए रुपए 65000/हेक्टेयर का भुगतान किया गया।	33000000		21-01-2008
5	लोअर सुबनसिरी जिले में पनिहार वन विभाग के 97 हेक्टेयर आरएफ के लिए रुपए 78000/हेक्टेयर का भुगतान किया गया।	2522000		02-04-2009
6	डापोरिजो वन विभाग के 149.22 यूएसएफ के लिए रुपए 1,56000 प्रति हेक्टेयर भुगतान किया गया।	7911772	डिप्टी कमिश्नर, अपर सुबनसिरी, दापोरिजो	25-07-2024
		19400000		25-01-2008
7	डापोरिजो वन विभाग के 149.22 यूएसएफ के लिए (एनपीवी का 25%) रुपये @ 9.39 लाख कुल 3 किश्तों में भुगतान किया गया।	11676465		02-04-2009
		5838232		21-05-2009
		17514697		22-12-2009
	कुल	**758354012**		

10. सामाजिक दायित्व के तहत ग्राम तारामोरी से ग्राम टैंगो तक सड़क की मरम्मत / सुधार के लिए वर्ष 2013-15 के दौरान रुपए 13.89 करोड़ की राशि कुल तीन किश्तों में डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग, एलो कार्यालय में जमा किए गए हैं।

11. एनएचपीसी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लॉ कॉलेज और कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के सचिव (विद्युत) कार्यालय में रुपए 27.00 करोड़ की राशि दिनांक 30.03.2010 को जमा किए गए हैं।

....

नोट: यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संबंधित अवधि के लिए भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाए।